न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 350/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– उदाराम पुत्र रूगाराम 2– रामूराम पुत्र बींजाराम 3– मोहनराम पुत्र बींजाराम 4– केवलराम पुत्र बींजाराम 5– हिमताराम पुत्र नाराराम 6– मृत मादाराम के वारिसान शोभाराम पुत्र मादाराम, रामकिशोर पुत्र मादाराम एवं भंवरी पत्नी मादाराम 7– बदरीराम पुत्र नाराराम 8– हजारीराम पुत्र नाराराम 9– तुलछी पत्नी नाराराम 10–अमराराम पुत्र जालाराम 11–भीयाराम पुत्र जालाराम 12–कोजाराम पुत्र रूघाराम 13–चौथाराम पुत्र रूघाराम 14–भंवरलाल पुत्र चूनाराम 15–मृतक भीखाराम के वारिसान धन्नाराम पुत्र भीखाराम, श्यामराम पुत्र भीखाराम जरिये नाबालिग माता पतुरी पत्नी भीखाराम 16–रूकडी पत्नी स्व0 चूनाराम सभी जातियान मेगवाल निवासीगण नागलवास तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1– दगडाराम पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी नागलवास, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2– भूमिधारी जरिये तहसीलदार भोपालगढ

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–8–2015 जो राजस्व वाद संख्या 172/2012 अनवान उदाराम वगैरा बनाम दगडाराम वगैरा मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मालमसिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री राम प्रकाश चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 31–1–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं अन्य सहखातेदारो की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 23 रकबा 16.16 बीघा, खसरा नंबर 25 रकबा 166.08 बीघा, खसरा नंबर 50 रकबा 11.06 बीघा तथा खसरा नंबर 53 रकबा 91.06 बीघा कुल रकबा 285.16 बीघा

भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता भंवरलाल ने खसरा नंबर 53 मे से 11 बीघा तथा खसरा नंबर 25 मे से 12.06 बीघा कुल 23 बीघा 06 बिस्वा भूमि का बेचान कर दी थी परंतु जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 तैयार करते समय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता भंवरलाल के हिस्से मे से बेची हुई भूमि कम दर्ज नही की तथा इसके पश्चात भंवरलाल ने वादग्रस्त आराजी का मनमर्जी से बंटवाडा करवाकर खाता अपने नाम अलग करवा लिया लेकिन प्रार्थीगण खसरा नंबर 23 रकबा 8.08 बीघा, खसरा नंबर 25 रकबा 83.12 बीघा, खसरा नंबर 50 रकबा 5.14 बीघा तथा खसरा नंबर 53 रकबा 40.12 बीघा भूमि पर पीढियो से संयुक्त रूप से काबिज है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता ने न तो कभी जमीन का कोई बेचान किया और न ही कोई बंटवाडा करवाया इसलिए प्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही हुई तथा जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त से अधिक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज भूमि को दुरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का इस आधार पर खारीज कर दिया कि रेस्पो0 संख्या 2 सीता जो कि 11 वर्ष पूर्व ही मृत हो चुकी थी तथा कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारीज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिक्क्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एवं कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27–5–2013 को रेस्पो0 संख्या 2 सीता के 11 वर्ष पूर्व ही फोत हो जाने की सूचना के साथ रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को उपलब्ध कराकर पत्रावली जवाब एवं बहस दरख्वास्त दिनांक 20–4–15 तक चलती रही तथा दिनांक 20–4–2015 की आदेशिका से पत्रावली दिनांक 25–5–2015 को रखी गई परंतु बीच मे ही पत्रावली दिनांक 19–5–2015 को लोक अदालत केम्प पालडी राणावतां मे रख दी गई तथा दिनांक 19–5–2015 की कोई आदेशिका के बिना ही पत्रावली पुनः दिनांक 14–8–2015 को अदालत हाजा मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 के नोटिस की तामिल तथा दिनांक 24–7–2012 की आदेशिका की ओर ध्यान दिलाया जिसमे "अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल अनुपस्थित, न्यायालय हाजा द्वारा आवाज लगाई गयी परंतु कोई प्रतिनिधी वकील या प्रार्थना पत्र पेश नही हुआ लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 को Ex Party किया जाने का आदेश पारित किया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध Ex Party आदेश हो गया है तो

ऐसे मे Non contested Party या Ex Party के खिलाफ अपील सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 (4) के तहत अपील एबेट नही हो सकती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण के मेरिट को देखे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार पत्रावली सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 के जवाब एवं बहस मे विचाराधीन रहते अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय मे वकील फरीकेन की उपस्थिति लिखते हुए पारित कर दिया जबकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे पारित किया इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी तथा जानकारी होते ही उक्त अपील प्रस्तुत की है जिसे अंदर मयाद सुमार समझते हुए अपीलांट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे ड्ब्लु.एल.सी. 2015 पेज 267, ए. आई.आर. 1985 सु.को. पेज 606, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, आर.आर.टी.2011 (2) पेज 829 की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 2 जो कि 11 वर्ष पूर्व ही फोत हो चुकी थी को पक्षकार बनाते हुए पेश किया था जो कानूनन मेन्टेनेबल नही होने से निरस्त योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र ऐबेट हो जाने से खारीज करने हेतु दिनांक 27–5–2013 हो अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था । उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 17–6–2013 से दिनांक 14–8–2013 तक अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस के जवाब मे रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे लोक अदालत मे पत्रावली को रखे जाने के नोटिस लगे हुए है जो तामिल सुदा है । वकील अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन निर्णय मे उनकी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि वे उपस्थित ही नही थे तो इसके लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर ऐतराज करना चाहिये था इसलिए अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील विलंब से पेश की गई होने से मयाद बाहर होने तथा धारा 5 मयाद अधिनियम मे विलंब को क्षमा करने बाबत संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होने से उक्त अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील मीमो मे जिन बेचान का उल्लेख किया गया है, ऐसे बेचान दस्तावेज या म्युटेशन बाबत दस्तावेज रेकर्ड पर उपलब्ध ही नही है न ही इससे संबंधित राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि पेश की है इसलिए अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2015 का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 2 सीता पत्नी भंवरलाल को पक्षकार बनाते हुए पेश किया था जबकि उक्त सीता का देहांत पूर्व मे ही हो चुका था तथा इसका ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 27–5–2013 के प्रार्थना पत्र के द्वारा दिलाये जाने तथा इसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दिलाई जाने के बाद अपीलांट अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब एवं मृतक अप्रार्थी संख्या 2 सीता के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 17–6–2013 से 14–8–2015 तक अवसर दिये जाने के बावजुद कोई कार्यवाही नही की जाने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2015 के द्वारा कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह समर्थय योग्य है । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे जो निर्णय नजीरे पेश की है, वे वर्तमान प्रकरण मे लागू नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।